राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 02/2023

सायल्	बनाम	गैर सायल्
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी बारासण		ऐलसी पत्नी मगलाराम, ओमप्रकाश पुत्र मंगलाराम, खेताराम पुत्र हरीगांराम, बालाराम पुत्र खेमाराम, बीरबलराम पुत्र हरदानराम, भाखराराम पुत्र भूराराम, जीयो पत्नी ठाकरराराम, मांगीलाल पुत्र रिड़मलराम, मोहनलाल पुत्र ठाकराराम, लाधुराम पुत्र रिड़मलराम, सुरेश कुमार पुत्र मंगलाराम, हेमाराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी भीलो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 25.08.2023

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का बारासण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा भीलो की ढाणी, बारासण की राजकीय भूमि ख.न. 990/6 रकबा 0.2428 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता(राजकीय भूमि) भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः गैर सायल् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल् को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की तय तिथि 25.08.2023 को सायल् हल्का पटवारी बारासण उपस्थित, गैर सायल् अनुपस्थति। गैर सायल को सुनवाई का बार–बार अवसर देने व खुले न्यायालय में तीन बार तीन–तीन आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि(गैर मुमकिन रास्ता) सरकारी भूमि है जिस पर गैर सायल् का अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं। अतः गैर सायल् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.15 रूपये का राउण्ड अप 1 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी तथा ILR तथा मांग कायमी हेतु त[illegible]स्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2023 को खुले न्यायालय में सु[illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Saran
Date: 2024.01.15 15:25:53 IST
Reason: SelfAttested

(विकास सारण)
तहसीलदार गुड़ामालानी